अनुदान संख्या 14 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	35192,65,00	35192,67,00	26848,38,72	-8344,28,28
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8555,84,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3386,00,00	4995,54,00	4206,31,85	-789,22,15
पूरक	Supplementary	1609,54,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				786,82,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹855584.00 लाख) ₹834466.93 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹855584.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹834428.28 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	48307.00			
पू.	S.	1.00	49428.30	45607.29	-3821.01
पु.	R.	1120.30			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	993953.00	1063861.45	1090107.24	+26245.79
पु.	R.	69908.45			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	119062.00	..	..	..
पु.	R.	-119062.00			
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	2357943.00	1550236.25	1549124.19	-1112.06
पु.	R.	-807706.75			

(I) ₹119063.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत ₹119062.00 लाख निम्नलिखित

(I) Provision of ₹119063.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹119062.00 lakhs accounted for

शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "अन्य संचार सेवाएं – सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिभूर्ति" – ₹116362.00 लाख; और

(खा) "अन्य व्यय – टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹2700.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सचिवालय – संचार मंत्रालय" – ₹139.02 लाख की बचत (₹558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, स्वदेशी/विदेशी यात्रा खर्च, चिकित्सा उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "संबद्ध कार्यालय" –

(क) "निदेशालय" – ₹1299.34 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14978.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, स्वदेशी/विदेशी यात्रा खर्चों, समयोपरि भत्ते, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्य प्रशासनिक खर्चों, विज्ञापन तथा प्रचार और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹116362.00 lakhs; and

(B) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹2700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Communications" - saving of ₹139.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹558.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, domestic/foreign travel expenses, medical treatment and information technology.

(B) "Attached Offices" -

(a) "Directorate" - saving of ₹1299.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14978.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) was due to requirement of less funds towards salaries, domestic/foreign travel expenses, overtime allowance, information technology, other administrative expenses, advertising and publicity and professional services.

(ख) "दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र" – ₹507.48 लाख की बचत (₹3929.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, स्वदेशी/विदेशी यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों, व्यावसायिक सेवाओं, चिकित्सा उपचार और प्रकाशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Telecommunications Engineering Centre" - saving of ₹507.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3929.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, domestic/foreign travel expenses, office expenses, professional services, medical treatment and publications.

(ग) "प्रशासक – सार्वभौमिक सेवा निधि" – ₹269.27 लाख की बचत (₹998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपचार, कार्यालय खर्चों, प्रकाशन, विज्ञापन तथा प्रचार और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) "Administrator - Universal Service Fund" - saving of ₹269.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹998.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical treatment, office expenses, publications, advertising and publicity and professional services.

(घ) "केंद्रीय निगरानी प्रणाली (प्रचालन तथा अनुरक्षण)" – ₹2452.20 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों, लघु कार्यों, व्यावसायिक सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा पेट्रोल ऑयल ल्यूब्रिकेंट के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(d) "Central Monitoring System (Operation and Maintenance)" - saving of ₹2452.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses, minor works, professional services, information technology and petrol oil lubricant.

(III) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(III) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पेंशनों का संराशीकृत मूल्य – साधारण पेंशनें" – ₹9714.11 लाख की बचत (₹98440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹9714.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98440.00 lakhs); and

(खा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹513.82 लाख की बचत (₹1819.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹513.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1819.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति के कारण बचतें हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims.

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं :–

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निगरानी सेवाएं – बेतार निगरानी सेवाएं" – ₹461.48 लाख की बचत (₹3581.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा उपचार, विज्ञापन तथा प्रचार, लघु कार्यों, व्यावसायिक सेवाओं, विदेश यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों तथा किराए, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Monitoring Services - Wireless Monitoring Services" - saving of ₹461.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3581.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, medical treatment, advertising and publicity, minor works, professional services, foreign travel expenses, office expenses and rent, rates and taxes.

(खा) "सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹359628.56 लाख की बचत (₹1043456.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट परियोजना, सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" - saving of ₹359628.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1043456.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Bharat Net project, compensation to service providers and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹463618.00 लाख की बचत (₹1163618.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायिकी/वित्तीय सहायता के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(C) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹463618.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1163618.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards subsidy/financial support and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, जिनेवा" – ₹102.97 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) "International Co-operation - International Telecommunication Union, Geneva" - saving of ₹102.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards contributions.

(ङा) "अन्य व्यय" –

(क) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्द्धन" – ₹255.76 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश यात्रा खर्चों, अन्य प्रशासनिक खर्चों तथा विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(E) "Other Expenditure" -

(a) "Technology Development and Investment Promotion" - saving of ₹255.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards foreign travel expenses, other administrative expenses and advertising and publicity.

(ख) "एमटीएनएल बंधपत्रों पर ब्याज की अदायगी" – ₹709.74 लाख की बचत (₹39000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमटीएनएल बंधपत्रों पर ब्याज के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Payment of Interest on MTNL Bonds"- saving of ₹709.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards interest on MTNL Bonds.

(ग) "स्वच्छता कार्य योजना" – ₹500.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वच्छता कार्य योजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) "Swachhta Action Plan" - saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Swachhta Action Plan.

(घ) "आईटीआई बेंगलौर" – ₹473.74 लाख की बचत (₹40500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटीआई बैंगलौर को वित्तीय सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(d) "ITI Bangalore" - saving of ₹473.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards financial relief to ITI, Bangalore.

(ङ) "प्रशिक्षण" – ₹330.21 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(e) "Training" - saving of ₹330.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹58.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹58.00 lakhs occurred constituting 73 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय" –

(I) Major Head "3451" - "Attached Offices"-

(का) "लेखापरीक्षा प्रभारों का हिस्सा होने के कारण मुख्य शीर्ष 3201 डाक सेवाओं को अंतरित की गई राशि" – ₹130.00 लाख का अधिक व्यय (₹325.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखापरीक्षा प्रभारों के हिस्से के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) "Amount transferred to Major Head 3201 Postal Services on account of share of Audit Charges" - excess of ₹130.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹325.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards share of audit charges.

(खा) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी प्रकोष्ठ" – ₹1589.08 लाख का अधिक व्यय (₹9777.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा उपचार, स्वदेशी यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों, अन्य प्रशासनिक खर्चों, विज्ञापन तथा प्रचार, लघु कार्यों, व्यावसायिक सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के

(B) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - excess of ₹1589.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9777.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, medical treatment, domestic travel expenses, office expenses,

लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय" – ₹279.42 लाख का अधिक व्यय (₹13398.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा उपचार, स्वदेशी यात्रा खर्चो, कार्यालय खर्चों, किराया, दरों और करों, विज्ञापन तथा प्रचार, व्यावसायिक सेवाओं और लघु कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" –

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – सामान्य पेंशनें" – ₹59626.83 लाख का अधिक व्यय (₹613377.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "उपदान – सामान्य पेंशनें" – ₹31461.15 लाख का अधिक व्यय (₹156643.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(गा) "परिवार पेंशनें – परिवार पेंशनें" – ₹15282.78 लाख का अधिक व्यय (₹123264.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवार पेंशन के मामलों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "3275" –

(का) "जनजाति उप–क्षेत्र योजना – सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹12248.26 लाख का अधिक व्यय (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा प्रदाताओं को जनजातीय क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए बकाया राशियों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संबंधित कार्यकलाप आयोजित करना" – ₹176.30 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)

other administrative expenses, advertising and publicity, minor works, professional services and information technology.

(C) "Controller of Communication Accounts Offices" - excess of ₹279.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13398.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, medical treatment, domestic travel expenses, office expenses, rent, rates and taxes, advertising and publicity, professional services and minor works.

(II) Major Head "2071"- "Civil" -

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of ₹59626.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹613377.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pensionary charges.

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions" - excess of ₹31461.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹156643.20 lakhs) was due to receipt of more claims.

(C) "Family Pensions - Family Pensions" - excess of ₹15282.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹123264.00 lakhs) was due to increase in family pension cases.

(III) Major Head "3275" -

(A) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - excess of ₹12248.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears to service providers for universal service obligation in tribal areas.

(B) "International Co-operation - Organizing International Conferences and related activities in India" - excess of ₹176.30 lakhs (against nil provision)

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें आयोजित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

was due to requirement of additional funds towards organizing international conferences/meetings.

(गा) "अन्य व्यय" –

(C) "Other Expenditure"-

(क) "टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹4428.00 लाख का अधिक व्यय (₹24200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Centre for Development of Telematics"- excess of ₹4428.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" – ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Telecom Regulatory Authority of India" - excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards grants to Telecom Regulatory Authority of India.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹78922.15 लाख) दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹160954.00 लाख के पूरक अनुदान का 49 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹78922.15 lakhs) constituted 49 percent of the supplementary grants of ₹160954.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 16 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	32000.00			
पू.	S.	5500.00	..	..	..
पु.	R.	-37500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5275"	Major Head "5275"				
अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	286600.00			
पू.	S.	136654.00	387172.00	386931.85	-240.15
पु.	R.	-36082.00			
मुख्य शीर्ष "7275"	Major Head "7275"				
अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	Loans for Other Communication Services				
पू.	S.	5100.00	..	..	..
पु.	R.	-5100.00			

(I) ₹117600.00 लाख का प्रावधान (₹80600.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पांच मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹117600.00 lakhs (including supplementary grant of ₹80600.00 lakhs) remained wholly unutilized in five cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552"– "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹37500.00 लाख (₹5500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण ।

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on Other Communication Services - Other Expenditure - OFC based network for Defence Services" - ₹37500.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5500.00 lakhs) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(B) Major Head "5275" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – निदेशालय" – ₹4000.00 लाख – निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण।

(a) "Direction and Administration - Directorate" - ₹4000.00 lakhs - due to non-completion of tender process.

(ख) "अन्य संचार सुविधाएं – मॉनिटरी सेवाएं"– ₹1000.00 लाख – तकनीकी स्कीमों के लिए मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण ।

(ग) "सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों में निवेश – हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड में निवेश"– ₹70000.00 लाख का पूरक प्रावधान – प्रारूप मंत्रिमंडल नोट के पूरा न होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "7275" – "सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों को कर्ज – हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड को कर्ज"– ₹5100.00 लाख का पूरक प्रावधान – आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन न मिलने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अन्य संचार सुविधाएं – कार्यालय भवन" – ₹1676.89 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल स्कंध द्वारा कार्यालय भवन पूरा करने में देरी के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय"–

(क) "वायरलैस सेट तथा उपस्कर" – ₹1266.93 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(ख) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹887.24 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों, मशीनरी तथा उपस्करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन देर से मिलने के कारण हुई।

(b) "Other Communication Facilities - Monitoring Services" - ₹1000.00 lakhs - due to non- procurement of machinery and equipments for technical schemes.

(c) "Investment in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Hemisphere Properties India Limited (HPIL)" - supplementary provision of ₹70000.00 lakhs - due to non-completion of draft cabinet note.

(C) Major Head "7275" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Hemisphere Properties India Limited" - supplementary provision of ₹5100.00 lakhs - due to non-receipt of approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Communication Facilities - Office Building" - saving of ₹1676.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in completion of office building by civil wing.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Wireless Sets and Equipments" - saving of ₹1266.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-completion of tender process.

(b) "Training Institute for Communications Finance" - saving of ₹887.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards offices expenses, machinery and equipments and late receipt of administrative approval for construction of training building.

(ग) "बीएसएनएल को उपग्रह गेटवे सहायता दिया जाना" – ₹1237.84 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(घ) "दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर दल" – ₹250.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नमूना जाँच के परिणामों पर तकनीकी अवसंरचना के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ङ) "केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर" – ₹250.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केवल महाराष्ट्र में ही परीक्षण आधार पर स्कीम लाँच किए जाने के कारण स्कीम के लिए कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.25 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹44346.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए नेटवर्क आधारित ओएफसी" के अंतर्गत ₹138654.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधिः–

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्य योग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 09 जनवरी, 2004 की

(c) "Establishment of Satellite Gateway Assistance to BSNL" - saving of ₹1237.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-completion of tender process.

(d) "Telecom Computer Emergency Response Team" - saving of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards technical infrastructure on the results of test check.

(e) "Central Equipment Identity Register (CEIR)" - saving of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards the scheme owing to launching it in Maharashtra only on trial basis.

(III) Under one head saving of ₹99.25 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹44346.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹138654.00 lakhs under Major Head "5275" - "Other Expenditure - OFC based network for Defence Services".

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavoured greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide

अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

notification of the Government dated 09th January, 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

वर्ष 2017–18 की निधि का लेखा इस प्रकार था :–

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रूपए में)

(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	82,60,71
प्राप्तियां	Receipts	:	99,73,96
अदायगियां	Payments	:	100,00,00
अंतशेष	Closing Balance	:	82,34,67

6. विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधिः–

6. Universal Service Obligation Fund :-

नई दूरसंचार नीति 99 (एनटीपी– 99) में सभी को सामर्थ्य योग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जो कि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाईसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवादायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

वर्ष 2017–18 की निधि का लेखा इस प्रकार था :–

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रूपए में)

(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	-1,24,29
प्राप्तियां	Receipts	:	7000,00,00
अदायगियां	Payments	:	6998,75,71
अंतशेष	Closing Balance	:	..